

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 4 (88) आकाशि/नि.सं./2001/

आदेश

850

दिनांक- 19-3-2016

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकरदमी सत्र 2016-17 से 2018-19 (तीन वर्ष) हेतु विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय में अर्थात् अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है -

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व आवंटित संकाय/विषय में अभिवृद्धि
शामा खेतानाथ महिला पी.जी. महाविद्यालय, भीटेड़ा, अलवर।	बहरोड़ राजर्षि मर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।	नवीन विषय स्नातकोत्तर स्तर एम.एस.सी-गणित

- संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करेगी।
- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा एवं तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पर्यन्त तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन/विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबन्धित संस्था द्वारा भूमि स्वामन्तरण आवश्यक करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबन्धित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यू.जी.सी. योग्यतापारी प्रचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबन्धित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकता अनुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में तथा अस्थायी भई सुस्थापित की प्रत्येक-5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में आयुक्तालय में जमा करायेगा।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./सोशियल एवं रोजरिंग (स्काल्ड/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस. कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय को 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को जानकारी दी जायेगी।

राजस्थान सरकार,
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आदेश क्र 4 (अ)आयुक्तालय/निस./2001/817

दिनांक-05-8-2016

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 (तीन वर्ष) हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
राजस्थान महिला पी.जी. महाविद्यालय, गोदरुवा रोड, अलवर।	राजस्थान भर्तृहरि मल्ल विश्वविद्यालय, अलवर।	नवीन विषय स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एससी- रसायन शास्त्र, जनरल शास्त्र, प्राणि शास्त्र।



1. संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीपीओआईओ से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति परमाणु तहत राज्यों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय अथवा विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) को निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य कराया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय गवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसूच किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताप्राप्ति प्राचार्य व प्राध्यापक तथा अन्य अध्येक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टीक के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा छाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित संस्थावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एनओएसओएस/एनओसीओसी/सेपरिंग एवं रेजिस्ट्रार (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सार्वजनिक नैतिकिधि में विद्यार्थी को नाम दिलाया होगा। इसकी सूचना सफलपक एनओएसओएस, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर ज्ञातित दिनांक तक करवायेगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का कालव कालव होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website पन्नाकेत आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी